



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या:-468-पें०एवंआर०-28/पाकालि/12-49पी/89 टी०सी०VII दिनांक:23 फरवरी,2012

समस्त मुख्य अभियन्ता/
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
.....।

विषय:-अधिवर्षता पेंशन, सेवानिवृत्त, ग्रेच्युटी और राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले सम्भावित विलम्बों को दूर करने हेतु वर्तमान कार्य प्रणाली का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं०-1347-पें०एवंआर०-28/पाकालि/०1-49पी/89, दिनांक 14.05.2001 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिवर्षता पेंशन, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी और राशिकरण की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष और पेंशन स्वीकृता अधिकारी को शासन द्वारा निश्चित 24 मासीय समय सारणी का अनिवार्यतः पालन कर सेवा में अन्तिम माह की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन/ग्रेच्युटी के अन्तिम भुगतान आदेश दे दिये जाने चाहिए, के निर्देश प्रेषित किये गये थे। किन्तु श्रमिक संघ द्वारा कारपोरेशन को सूचित किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पावनों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा सेवानैवृत्तिक देयों का समय से भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आप यह सुनिश्चित करायें कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी, परिषदाज्ञा सं०-623-पेंशन-31/राविप/97-49पी/89 दिनांक 21.05.1997 में निहित दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करें तथा सेवानैवृत्तिक देयों का समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रज्जन लाल)

अपर सचिव (अराजपत्रित)

संख्या-468(1)-पें०एण्डआर०-28/पाकालि/12-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/ट्रांसको/केस्को।
2. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/ट्रांसको/केस्को।
3. अपर सचिव-1/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रज्जन लाल)

अपर सचिव (अराजपत्रित)